

935  
ग.शा.सं-6/317-40/2002

भारखंड-सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

भारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली।

रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

विषय:-

भारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को

सी०बी०एस०ई० से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग

भारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी०बी०एस०ई० से राज्य के अन्तर्गत

संचालित निजी विधालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विधालयों को नीचे

अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र <sup>निर्गत</sup> करने का निर्णय लिया

गया है :-

क्रमांक- विधालय का नाम

1. ब्रिज-पगेड स्कूल, तुमुदाना, रांची।
2. टेन्डर हर्ट सिनियर लेकेण्ड्री विधालय, तुमुदाना, रांची।
3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, जाराटोला, रामगढ़ कैन्ट।
4. प्रिजली विधालय, तिलैया डैम, कोडरमा।
5. मर्से इन्टरनेशनल एकादमी, मधुपुर।
6. गीता देवी डी०एस०ई० पब्लिक स्कूल देवघर।
7. रेडरोज स्कूल, कास्टोर टाउन, देवघर।
8. आर०के० पब्लिक स्कूल, गढ़वा।
9. सरस्वती शिक्षा विद्यामंदिर बाघमारा, धनबाद।
10. मार्डन पब्लिक स्कूल, हुमरी तिलैया, कोडरमा।
11. श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, रामगढ़ कैन्ट।
12. सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर, डकरा, रांची।

पृ०पृ०३०



है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनिश्चितताओं की जाँच करा कर सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकाहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शाक्तों के उल्लंघन भानते हुए अनापत्ति फ़क़ प्रमाणा-पत्र आपस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्ववासभाजन

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
झारखंड, रांची ।

आपाक 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
झारखंड, रांची ।

आपाक 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रति लिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव & सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
झारखंड, रांची ।

Secretary

Radha Govind Public School  
Ramgarh Cantt., Hazaribagh  
( Jharkhand )

Principal

Radha Govind Public School  
Ramgarh Cantt.